17/11/15 पत्रावली पेश हुई। दावा वादी डिग्री किया गया है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो अमिल दुनाला गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:48 IST
Reason: Attested

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

उनवान

नन्दकिशोर आयु 37 साल
नन्दलाल आयु 35 साल
हेमराज आयु 33 साल
रामदयाल आयु 29 साल — पुत्रान सरवन
गुड्डीबाई आयु 25 साल
प्रेमाबाई आयु 25 साल — पुत्रीयान सरवन
जगनबाई पत्नि स्व0 सरवन आयु 65 साल
राजवीर आयु 32
जीतेन्द्र आयु 28 साल — पुत्रान बत्तीलाल
रवीना आयु 30 साल
सुवीना आयु 22 साल — पुत्रीयान बत्तीलाल
समरबाई पत्नी स्व0 बत्तीलाल आयु 55 साल
जगमोहन आयु 46 साल
कैलाश आयु 44 साल — पुत्रीयान श्यामा
रामरति आयु 50 साल
केशन्ती आयु 48 साल — पुत्रीयान श्यामा
कलावती पत्नी स्व0 श्यामा आयु 72 साल
बचनसिंह पुत्र फैलू आयु 26 साल
सामन्ती आयु 32 साल
लीलाबाई आयु 30 साल — पुत्रीयान फैलू
सभी जातियान माली निवासीयान महू तहसील व जिला करौली राज0

—वादीगण

बनाम

रामस्वरूप पुत्र हरीले आयु 62 साल
नथिया पत्नी रामस्वरूप आयु 60 साल
गोविन्द पुत्र हरीले आयु 65 साल
सीताराम पुत्र हरीले आयु 60 साल
फूलसिंह पुत्र हरीले आयु 56 साल
कला पत्नी फूलसिंह आयु 62 साल
शान्ति पत्नी गोविन्द आयु 62 साल
कलावती पत्नी सीताराम आयु 58 साल
लालसिंह पुत्र रामस्वरूप आयु 32 साल
मुकेश पुत्र सीताराम आयु 25 साल
समस्त जातियान माली निवासीयान महू तहसील व जिला करौली (राज0)

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

दावा–स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नं. 27 / 24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री विष्णु ..., एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू श्री रामजीलाल अग्रवाल, एडवोकेट मिनजानिब ... पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री ... जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह खसरा नंबर ... 0.4426 हे0 ग्राम मंहू पटवार हल्का हरनगर तहसील करौली में वादीगण के कब्जा ... एवं फसल लाभ लेने में कोई व्यवधान व मदाखलत नहीं करे एवं काउन्टर क्लेम ... विरूद्ध वादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नंबर ...87 रकबा 0.1517 हे0 ग्राम मंहू पटवार हल्का हरनगर तहसील करौली में प्रतिवादीगण ... काश्त में एवं फसल लाभ लेने में कोई व्यवधान व मदाखलत नहीं करने को स्थाई ... से पाबंद किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पत्रावली ... जारी हो।

...नेज .... मुबलिग .... बाबत ....

... मुकदमे के मय सूद निज बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से ... अदायगी तक .... को अदा करे।

... मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17/11/25 को सन 2025 ... की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करौली
करौली (राज.)

	रुपया	पैसे	मुन्दरजात	रुपया	पैसे
...ी प्राप्त			स्टाम्प अर्जी दावा		
...जतनामा			स्टाम्प अर्जी		
[illegible]			महन्ताना अर्जी		
[illegible]			खर्चा गवाहान		
[illegible]			फीस कमीशन		
[illegible]			डोकट तुजमन हुक्मनामा		
... हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करौली

... खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का ... ... लिखना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—27 / 24

तारीख रजु:—5.8.2024

उनवान

नन्दकिशोर आयु 37 साल
नन्दलाल आयु 35 साल
हंसराज आयु 33 साल
रामदयाल आयु 29 साल — पुत्रान सरवन

गुड्डीबाई आयु 25 साल
रमाबाई आयु 25 साल — पुत्रीयान सरवन

जगनबाई पत्नि स्व0 सरवन आयु 65 साल

राजवीर आयु 32
जीतेन्द आयु 28 साल — पुत्रान बत्तीलाल

रवीना आयु 30 साल
सुवीना आयु 22 साल — पुत्रीयान बत्तीलाल

भमरबाई पत्नी स्व0 बत्तीलाल आयु 55 साल

जगमोहन आयु 46 साल
कैलाश आयु 44 साल — पुत्रीयान श्यामा

रामरति आयु 50 साल
कशन्ती आयु 48 साल — पुत्रीयान श्यामा

कलावती पत्नी स्व0 श्यामा आयु 72 साल

नरानसिंह पुत्र फैलू आयु 26 साल

रामती आयु 32 साल
सीताबाई आयु 30 साल — पुत्रीयान फैलू

सभी जातियान माली निवासीयान महू तहसील व जिला करौली राज0

—वादीगण

बनाम

रामस्वरूप पुत्र हरीले आयु 62 साल
[illegible] पत्नी रामस्वरूप आयु 60 साल
गोविन्द पुत्र हरीले आयु 65 साल
सीताराम पुत्र हरीले आयु 60 साल
फूलसिंह पुत्र हरीले आयु 56 साल
[illegible] पत्नी फूलसिंह आयु 62 साल
[illegible] पत्नी गोविन्द आयु 62 साल
[illegible] पत्नी सीताराम आयु 58 साल
[illegible] पुत्र रामस्वरूप आयु 32 साल
[illegible] पुत्र सीताराम आयु 25 साल
सभी जातियान माली निवासीयान महू तहसील व जिला करौली (राज0)

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:48 IST
Reason: SelfAttested

दावा–स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188 आर०टी०एक्ट

—::निर्णय::— दिनांक— 1५/11/2५

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा [illegible]34 रकबा 0.4426 हैक्टेयर ग्राम महूं पटवार हल्का हरनगर तहसील व [illegible]रौली में स्थित है जो वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है वादी [illegible]13 ता 17 के पिता व पति श्यामा पुत्र ऊंकार जाति माली निवासी महूं [illegible] हो चुका है वादी संख्या 13 ता 17 मृतक श्यामा के व वादी [illegible]18 ता 20 मृतक फैलू के वारिसान है वीरेन्द्र पुत्र बत्तीलाल जाति माली [illegible] महूं लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 8 ता 12 [illegible] नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। [illegible] आराजी खसरा नम्बर 634 दर्ज वादपत्र नं01 से प्रतिवादीगण का कोई [illegible] काश्तकारी सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है वादीगण द्वारा इस वर्ष [illegible] फसल बाजरा दिनांक 5/7/2024 को काश्त कर बोई थी जो भूमि में [illegible] हुयी है जिसे दिनांक 17/7/2024 को प्रतिवादीगण नष्ट करने के [illegible] से अपने ट्रैक्टर को लेकर भूमि पर आये और वादीगण से फसल को [illegible] बर्बाद करने एवं वादीगण को भूमि से फसल लाभ नहीं लेने देने की [illegible] कहा व धमकी दी वादीगण ने प्रतिवादीगण से ऐसा अन्याय नहीं [illegible] की कहा तो वादीगण को प्रति 1 ता 10 जानसे मारने पर उतारू हो गए [illegible] वादीगण को वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। वादीगण ने इस [illegible] की पुलिस थाना लांगरा में रिपोर्ट दिनांक–16/7/2024 को पेश की तो [illegible] नं 1 व वादी नं0 13 को पुलिस थाना लांगरा ने शान्ति भंग होने के [illegible] से गिरफ्तार कर तहसीलदार मण्डरायल के समक्ष पेश किया जहाँ से [illegible] नं01 व वादी नं013 को शान्ति बनाये रखने को पाबन्द किया गया [illegible] पर प्रतिवादीगण वादीगण से और अधिक नाराज हो गए प्रतिवादीगण [illegible] जबरजोर पैसे वाले लट्ठ वाले व्यक्ति है। और ताकत के बल पर [illegible] से खातेदारी व कब्जे काश्त व फसल लाभ [illegible] पैदा [illegible] वादीगण से भूमि को छीनना [illegible] अनाधिकार कार्यवाही से हक [illegible] है यदि [illegible] को प्रतिवादीगण ने भूमि से फसल लाभ नहीं लेने दिया तो वादीगण व [illegible] की भूखा मरने की नौबत आजायेगी जिससे वादीगण को [illegible] हानि व भारी असुविधा होगी इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई [illegible] से पाबन्द कराने के अधिकारी है। विनाय मुखालिफ दावा दिनांक [illegible] को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में खड़ी फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:48 IST
Reason: SelfAttested

को नष्ट करने व वादीगण को भूमि से फसल लाभ नहीं लेने व वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पेदा करने की ऐलानीयां कहने पर वादीगण के मना करने पर नहीं मानने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हूयी है अतः दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 9 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 834 रकबा 0.4426 है0 वाके ग्राम महू पटवार हल्का हरनगर तहसील व जिला करौली में स्थित होना तो स्वीकार है तथा वादीगण का होना स्वीकार है, बकिया इबारत से जबावदारान प्रतिवादीगण लाइल्मी है। इस मद में दिनांक 17.07.2024 की घटना कपोल कल्पित दर्ज करायी है। प्रतिवादीगण जबावदारान ने कोई एलानिया धमकी नहीं दी बल्कि उक्त विवादित आराजीयात से लगी हुई खसरा नंबर 835/987 रकबा 0.1517 है0 वाके ग्राम महू पटवार हल्का हरनगर तहसील करौली में प्रतिवादी नंबर 2 नथिया पत्नि रामस्वरुप ने खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है और योम खरीद से अपनी आराजीयात को काश्त करती चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात में काश्त करने में सहयोग करते है तथा वादीगण ही प्रतिवादीगण से ईर्ष्या भाव रखने के कारण यह झूठा दावा पेश किया है। बाकीया इबारत विशेष विवरण में दर्ज है। वादीगण की प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 835/987 की जमीन को हड़पना चाहते है। इस कारण यह झूठा दावा हम प्रतिवादीगण पर दबाब डालने के लिये किया गया है। उस रोज मात्र अत्यधिक बरसात होने के कारण वादीगण के खेतों की पत्थरों की हो रही बाउण्ड्री प्रतिवादीगण जबावदारान के खेत में गिर जाने से उनको सही करने की प्रतिवादीगण ने कहा तो वादीगण नाराज हो गये और झूठी रिपोर्ट पेश कर दी तथा ये झूठा दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। इस झूठे दावे की आड़ में वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। बल्कि प्रतिवादीगण ही वादीगण को जरिये काउण्टर क्लेम स्थायी निषधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। कि प्रतिवादीगण के आराजी खसरा नंबर 835/987 में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व अनावश्यक व्यवधान पैदा न तो स्वय करे, न दीगर व्यक्ति से करवायें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में खडी फसल को नष्ट करने तथा कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने की कोई घटना ही नहीं हुई तो विनाय मुखासमत पैदा करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। [illegible] किया जाकर काउण्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:48 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर काउण्टर [illegible] किया है कि खसरा नम्बर 834 ग्राम महू तहसील करौली में स्थित [illegible] वादीगण की होना स्वीकार है बकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है वादीगण द्वारा दिनांक 17/7/2024 की घटना बाद कारण दर्ज करते हुए सही तथ्यों पर दावा हाजा पेश किया और दिनांक 18/7/2024 को घटना की वादीगण द्वारा सही रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

दर्ज की गयी है वादीगण ने सही बाद पत्र पेश किया है वादीगण खसरा नम्बर 835/987 की जमीन को हड़पना नहीं चाहते है वर्षात के कारण वादीगण की भूमिकी पत्थरों की डोल नहीं गिरी है ना ही प्रतिवादीगण ने वादीगण से डोल गिर जाने की कहां है वादीगण ने सही रिपोर्ट घटना की दर्ज करायी है और सही दावा प्रस्तुत किया हैं वादीगण प्रतिवादीगण को पावन्द कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम वेग एवं निराधार झूठे तथ्यां पर पेश किया हे इस मद में प्रतिवादीगण द्वारा कोइ बाद कारण तिथि काउन्टर कलेम के सम्बन्ध में दर्ज नही की हैं। काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किये जाने योग्य हैं। दिनांक 17/7/2024 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में खड़ी फसल को नष्ट करने व कब्जे काश्त में व्यवधान करने पर ही सही बाद कारण पर दावा वादीगण पेश किया गया है जिसमें किसी भी तथ्य को काल्पनिक दर्ज नहीं कराया है। खसरा नम्बर 835/987 रकबा 0.1517 हैक्टेयर मौजा महू पटवार हल्का हरनगर तहसील व जिला करौली में होना ... बाकी इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है वादीगण की बाउण्ड्री पत्थरों की को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 17/7/2024 को हटाकर फसल को नष्ट किया है बाउण्ड्री वर्षात के कारण नहीं गिरी है तब प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से दुरुस्त कराने की कहने का एवं वादीगण के नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं है। वादीगण का भूमि खसरा नं0 834 पर कब्जा काश्त है प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 835/987 पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है नाही पूर्व में नथिया देवी का कब्जा रहा है प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम में कोई बाद कारण दर्ज नही किया है प्रतिवादीगण वादीगण के विरुद्व किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दिनांक 17/7/2024 के बाद कारण के अभाव पर वादीगण द्वारा सही बाद पत्र प्रस्तुत किय गया है काउन्टर क्लेम के बावत प्रतिवादीगण ने कोई बाद कारण दिनांक काउन्टर क्लेम में दर्ज नही की है काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण वेग व निराधार है। और खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनो के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दू विरचित किये गये है:-

1. आया कि वादी वादपत्र में वर्णित आराजी खसरा नंबर 834 ग्राम महू पटवार हल्का हरनगर तहसील करौली में वादीगण के कब्जे काश्त में एवं फसल लाभ लेने में कोई व्यवधान व मदाखलत नहीं करें और वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

—वादीगण

2. आया की प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री करवाया जाकर दावा वादीगण खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:48 IST
Reason: SelfAttested

3 अनुतोष –

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी नन्दलाल पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 प्रदर्श–1 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण बंद की गई।

साक्ष्य प्रतिवादीगण में प्रतिवादीगण ने डीडब्ल्यू–1 रामस्वरूप के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 प्रदर्श ए–1 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 834 रकबा [illegible] हैक्टेयर ग्राम महूं पटवारी हल्का हरनगर तहसील व जिला करौली में स्थित [illegible] जो वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है वादी संख्या [illegible] 17 के पिता व पति श्यामा पुत्र ऊंकार जाति माली निवासी महूं का स्वर्गवास हो चुका है वादी संख्या 13 ता 17 मृतक श्यामा के व वादी [illegible] मृतक फैलू के वारिसान है वीरेन्द्र पुत्र बत्तीलाल जाति माली निवासी [illegible] फौत हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 8 ता 12 है सबूतन नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 834 दर्ज वादपत्र नं01 से प्रतिवादीगण का कोई खातादारी [illegible] सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है वादीगण द्वारा इस वर्ष भूमि में फसल बाजरा दिनांक 5/7/2024 को काश्त कर बोई थी जो भूमि में खडी हुयी है जिसे दिनांक 17/7/2024 को प्रतिवादीगण नष्ट करने के उद्देश्य से अपने ट्रैक्टर को लेकर भूमि पर आये औरा वादीगण से फसल को नष्ट कर बर्बाद करने एवं वादीगण को भूमि से फसल लाभ नहीं लेने देने की ऐलानियॉ कहा व धमकी दी वादीगण ने प्रतिवादीगण से ऐसा अन्याय नहीं करने की कहा तो वादीगा को प्रति 1 ता 10 जानसे मारने पर उताय हो गए इसलिए वादीगण को वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। वादीगण ने इस घटना की पुलिस थाना लांगरा में रिपोर्ट दिनाक–18/7/2024 को पेश की तो प्रतिवादी नं 1 व वादी नं0 13 को पुलिस थाना लांगरा ने शान्ति भंग होने के अन्देशा से गिरफ्तार कर तहसीलदार मण्डरायल के समक्ष पेश किया जहॉ से प्रतिवादी नं01 व वादी नं013 को शान्ति बनाये रखने को पाबन्द किया गया जिस पर प्रतिवादीगण वादीगण से और अधिक नाराज हो गए प्रतिवादीगण ताकतवर सहजोर पैसे वाले लट्ठ वाले व्यक्ति है। और ताकत के बल पर वादीगण से खातेदारी व कब्जे काश्त व फसल लाभ लेने में व्यवधान पैदा करने एवं वादीगण से भूमि को छीनने पर उतारु हो रहे है प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीगण पर भारी आघात है यदि वादीगण को प्रतिवादीगण ने भूमि से फसल लाभ नहीं लेने दिया तो वादीगण व वादीगण के परिवार की भूखा मरने की नौबत आजावेगी जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी का बहस में कथन है कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 834 रकबा 0.4426 है0 वाके ग्राम महू पटवार हल्का हरनगर तहसील व जिला करौली में स्थित होना तो स्वीकार है तथा वादीगण का होना स्वीकार है, बकिया इबारत से जबावदारान प्रतिवादीगण लाइल्मी है। इस मद में दिनांक 17.07.2024 की घटना कपोल कल्पित दर्ज करायी है। प्रतिवादीगण जबावदारान ने कोई ऐलानिया धमकी नहीं दी बल्कि उक्त विवादित आराजीयात से लगी हुई खसरा नंबर 835/987 रकबा 0.1517 है0 वाके ग्राम महू पटवार हल्का हरनगर तहसील करौली में प्रतिवादी नंबर 2 नथिया पत्नि रामस्वरूप ने खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है और योम खरीद से अपनी आराजीयात को काश्त करती चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात में काश्त करने में सहयोग करते है तथा वादीगण ही प्रतिवादीगण से ईर्ष्या भाव रखने के कारण यह झूठा दावा पेश किया है। बाकीया इबारत विशेष विवरण में दर्ज है। वादीगण की प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 835/987 की जमीन को हडपना चाहते हैं। इस कारण यह झूठा दावा हम प्रतिवादीगण पर दबाव डालने के लिये किया गया है। उस रोज मात्र अत्यधिक बरसात होने के कारण वादीगण के खेतों की पत्थरों की हो रही बाउण्ड्री प्रतिवादीगण जबावदारान के खेत में गिर जाने से उनको सही करने की प्रतिवादीगण ने कहा तो वादीगण नाराज हो गये और झूंठी रिपोर्ट पेश कर दी तथा ये झूंठा दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। इस झूठे दावे की आड में वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। बल्कि प्रतिवादीगण ही वादीगण को जरिये काउण्टर क्लेम स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। कि प्रतिवादीगण के आराजी खसरा नंबर 835/987 में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व अनावश्यक व्यवधान पैदा न तो स्वयं करे, न दीगर व्यक्ति से करवायें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में खडी फसल को नष्ट करने तथा कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने की कोई घटना ही नहीं हुई तो विनाय मुखासमत पैदा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अंत दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:—

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में वादी नन्दलाल पीडब्ल्यू—1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2075—78 प्रदर्श—1 पेश की है। जिसमें भूमि खसरा नंबर 834 वादीगण के खातेदारी में अंकित है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज इस विवाद्यक के संबंध पेश नहीं किया गया है। वादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादी रामस्वरूप डीडब्ल्यू—1 के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:48 IST
Reason: SelfAttested

बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 प्रदर्श ए–1 पेश की है। जिसमें भूमि खसरा नंबर 835/987 प्रतिवादीगण के खातेदारी में अंकित है। जिसके खण्डन में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज इस विवाद्यक के संबंध पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार है और वादीगण को जरिये काउन्टर क्लेम पाबंद कराने के हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से खसरा नंबर 834 के खातेदार काश्तकार वादीगण है एवं खसरा नंबर 835/987 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबद कराने के हकदार है एवं प्रतिवादीगण वादीगण को जरिये काउन्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है। दावा वादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण डिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह खसरा नंबर 834 रकबा 0.4426 हे0 ग्राम मंहू पटवार हल्का हरनगर तहसील करौली मे वादीगण के कब्जे काश्त मे एवं फसल लाभ लेने मे कोई व्यवधान व मदाखलत नही करे एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण डिकी किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नंबर 835/987 रकबा 0.1517 हे0 ग्राम मंहू पटवार हल्का हरनगर तहसील करौली मे प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में एवं फसल लाभ लेने में कोई व्यवधान व मदाखलत नहीं करने को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबद किया जाता है। खर्चा फरीकैनान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:48 IST
Reason: SelfAttested

(पीठासीन) अधिकारी,
करौली